भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3056

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>व्यावसायिक वातावरण संबंधी दामोदरन पैनल</u>

3056. श्री नारणभाई काछड़िया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में व्यावसायिक वातावरण में समस्त रूप से सुधार करने के लिए दामोदरन पैनल नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ड.) यदि नहीं, तो रिपोर्ट को कब तक सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा; और

(च) देश में व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (च) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में गठित समिति ने "भारत में व्यवसाय करने के लिए नियामक वातावरण के सुधार" पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ - (क) कानूनी सुधार (ख) नियामक संरचना (ग) विनियामक प्रक्रिया को और प्रभावी करने (घ) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सक्षम बनाने और (ड.) राज्य स्तर की समस्याओं का समाधान करने के संबंध में सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखी गई थी तथा इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी उनके

क्षेत्राधिकार में आने वाले पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए भेजा गया था। इसके पश्चात, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है क्योंकि यह

.....2/-

विभाग विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' और 'भारत में व्यवसाय को सरल बनाने' से संबंधित मामलों का समन्वय का कार्य कर रहा है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने इस संबंध में कई उपाय किए हैं जिसमें विद्यमान नियमों को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने और शासन को और अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है। इसका ब्यौरा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट http://dipp.nic.in/English/Investor/EoDB_Intiatives_01June2015.pdf पर दिया गया है।

व्यवसाय को और सरल बनाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

क) किसी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की अपेक्षा को समाप्त करना;

ख) किसी कंपनी द्वारा व्यवसाय शुरू करने से पहले घोषणापत्र फाइल करने की अपेक्षा समाप्त करना;

ग) कंपनियों की साझा मोहर की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त करना;

घ) किसी कंपनी को निगमित करने के लिए नाम आरक्षित करने और एक फार्म (आईएनसी-29) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन, निदेशकों की नियुक्ति आदि संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की अपेक्षा को समाप्त करना;

ड.) डीआईपीपी के ई-बिज प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं को समेकित करके किसी कंपनी की शुरूआत करने के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रक्रियाओं की संख्या कम करना।

*****